श्री मान् अधिवक्ता महोदय मंदीप सिंह विनैक जी 334, लॉ चेम्बर्स दिल्ली हाई कोर्ट नई दिल्ली 110003 मो० नं० 9810001275 आपके नोटिस म्यादी 7 दिवस

दिनांक 27/02/2017 के सम्बन्ध में

मान्यबर

आपका उपरोक्त नोटिस मुझ जबाब दाता को दिनांक 16/03/2017 को पोस्ट आफिस से प्राप्त हुआ, जिसका नियमानुसार मेरे द्वारा आपके समछ जबाब प्रस्तुत किया जा रहा हैं -

यह कि आपके पछकार अज़ीम प्रेम से मेरा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारयों द्वारा मुझ जबाब दाता को आफर दिया गया कि विप्रो कंपनी में स्थाई नौकरी करने के लिए बीस हजार सिक्यूरिटी मनी के रूप में देने व इंटरब्यू देने पर, आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में मुझ जबाब दाता कि स्थाई नौकरी लगा दी जाएगी, जिससे मुझ जबाब दाता द्वारा आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारियों के झासे में आ गया, और उनके बताये हुए एक्सिस बैंक अकाउंट में मुझ जबाब दाता के एक्सिस बैक अकाउंट के ए०टी०ऍम० से फंड ट्रांसफर करने व आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुझ जबाब दाता का फोन में इंटरब्यू लेने के बाद मुझ जबाब दाता के ईमेल पर आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के ईमेल-आईडी से विप्रो कंपनी में कार्य करने के लिए आफर लेटर प्राप्त हुआ जो सिक्यूरिटी में है, उसको न तो प्रिंट किया जा सकता है, और न ही उसमे कुछ चेंज किया जा सकता है, यह देख मुझ जबाब दाता द्वारा जबकि मुझ जबाब दाता उस समय ए०&जी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था, में त्यागपत्र दे कर आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुझ जबाब दाता के जोइनिंग का इंतजार करने लगा किन्तु आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुझ जबाब दाता की विप्रो कंपनी में जोइनिंग कि बहुत सारी प्रक्रिया दिखाया गया पर मुझ जबाब दाता का जोइनिंग आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में नहीं कराया गया जिसकी शिकायत मुझ जबाब दाता द्वारा आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के हेल्पडेस्क कि ईमेल-आईडी पर करने पर, मुझ जबाब दाता को जानकारी दिया गया कि मुझ जबाब दाता कि जोइनिंग कि सारी प्रक्रिया गलत है, पर कैसे गलत है? ये नहीं बताया गया, और कहा गया कि मुझ जबाब दाता द्वारा पुलिस शिकायत करने कि बात कही गयी, जिसके साथ मुझ जबाब दाता द्वारा कि जोइनिंग की प्रक्रिया के एक ईमेल में Regard में S. Srinivasan था, जिससे आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के हेल्पडेस्क कि ईमेल-आईडी पर जानकारी मांगने पर, आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के हेल्पडेस्क कि ईमेल-आईडी द्वारा जानकारी दिया गया कि S. Srinivasan के नाम का कोई भी कर्मचारी आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में नहीं है, किन्तु मुझ जबाब दाता द्वारा Linkedin सोशल साईड पर जानकारी साझा करने पर जानकारी प्राप्त हुआ कि आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में S. Srinivasan नाम के 15 कर्मचारी है, जो आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, जिससे स्पस्ट है कि आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी द्वारा मुझ जबाब दाता को गलत जानकारी देकर भ्रमित

किया गया, इसके साथ मुझ जबाब दाता द्वारा आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारीयों से विनती करता रहा कि मुझ जबाब दाता को आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी में कार्य दे कर मुझ जबाब दाता कि भविष्य ख़राब होने से बचाने कि कृपा करे, किन्तु आपके पझकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के कर्मचारी द्वारा मुझ जबाब दाता की जोइनिंग कंपनी में नहीं किया गया, इसके साथ मुझ जबाब दाता द्वारा आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के शिकायत साईड में भी शिकायत करने पर, आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के शिकायत साईड द्वारा मुझ जबाब दाता को फेसबुक के सोशल साईड का एक लिंक देकर साबुत दे कर बताया गया, कि आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के 2 कर्मचारीयों को सी०आई०डी० कोलकात्ता द्वारा मार्च 2014 तक पकड लिया गया है, जो पूरे भारत से, पहले ने 500 नैजवानों की और दुसरे ने 6000 नौजवानों का भविष्य मुझ जबाब दाता कि ही तरह 2006 से लगातार ख़राब किया जाता रहा है इसके साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के एक कर्मचारी सौरभ आचार्य मो० नं० 9051923234 द्वारा मुझ जबाब दाता मो० नं० 7771822877 पर फोन पर सारी जानकारी भी दी गई, और बताया गया कि उक्त मामले में राजनैतिक दिक्कत के कारण मामला को उजागर नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी फोन टेप मुझ जबाब दाता द्वारा किया गया है, जो सुरछित है और मान्यनीय न्यायालय के आदेश पर मुझ जबाब दाता द्वारा न्यायालय में पेश भी किया जायेगा

यह कि जिससे मुझ जबाब दाता द्वारा उक्त मामले में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2015 को मुझ जबाब दाता को आदेशित किया गया, कि मुझ जबाब दाता द्वारा माननीय मजिस्ट्रेड महोदय न्यायालय में एक अपराधिक मामला आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों के खिलाफ (जो उक्त मामला को अंजाम दे रहे हैं) दर्ज करू, जिससे मुझ जबाब दाता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, माननीय मजिस्ट्रेड महोदय न्यायालय में एक अपराधिक मामला आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों के खिलाफ (जो उक्त मामला को अंजाम दिए हैं) दर्ज करवाने के लिए एक फरियाद दर्ज करवाई गई, जिससे माननीय मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा दिनांक 05.05.2016 को मामले में कार्यवाही करते हुए, फरियाद के 2 अभियुक्तों के खिलाफ 120-बी, 420, 465 व 34 आई०पी०सी० के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसके बाद मुझ जबाब दाता द्वारा उक्त मामला में पुनर्विचार याचिका माननीय अपर जिला न्यायालय में दायर कराई गई, जिससे माननीय अपर जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2016 को मामला में कार्यवाही करते हुए आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों के खिलाफ सबब बताओ नोटिस जारी किया गया, किन्तु आज दिनांक तक माननीय न्यायालय द्वारा 15.09.16, 05.10.16, 24.10.16, 15.11.16, 15.12.16, 02.01.17, 24.01.17, और 03.03.17 तक आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय में न तो कोई जबाब पेश किया गया और न ही उन लोगों द्वारा खुद को पेश किया गया

यह कि उक्त मामला की जानकारी आपके द्वारा भी दिनांक 05-Sep-16 को रात्रि 9:29 बजे को मो० नं० 9810001275 से मुझ जबाब दाता के मो० नं० 7771822877 पर फोन कर माँगा गया था, जिससे मुझ जबबा दाता द्वारा आपको उसी फोन से उसी समय मामले की जानकारी और माननीय न्यायालय में मामला कि स्थिति की जानकारी दिया गया, जिसके बाद मुझ जबाब दाता द्वारा मुझ जबाब दाता के वकील से आपकी बात भी कराई गयी थी, जिसके बाद आपके द्वारा मुझ जबाब दाता के इमान खरीदने व मामला को दवाने के लिए आपके द्वारा सात करोड़ का पेशकश किया गया था, जिसको मुझ जबाब दाता द्वारा मना किये जाने के बाद आपके द्वारा उक्त लीगल नोटिस द्वारा धमकी दी जा रही है

यहाँ तक कि आप कानून के एक अच्छे जानकर और जिम्मेदार ब्यक्ति भी हैं फिर भी आपके द्वारा बिना किसी साबुत के मुझ जबबा दाता के खिलाफ इस लीगल नोटिस को देकर मामला को और मान्यनीय न्यायलय को भ्रमित करने का अपराध किया जा रहा है जो अपराध कि संज्ञा में आता है

अस्तु श्री मान जी से बिनम्र अनुरोध है कि आप आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों को परामर्श दीजिये कि जल्द से जल्द माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए माननीय न्यायालय में पेश हो कर खुद का पछ रख न्यायालय कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे चलाने में सहयोग प्रदान करें, इस तरह मुझ जबाब दाता को माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नोटिस देकर माननीय न्यायालय के आदेश का अपमान न करें, अगर आपके पछकार अज़ीम प्रेम के साथ-साथ आपके पछकार अज़ीम प्रेम के विप्रो कंपनी के उन कर्मचारियों के पास माननीय न्यायालय के नोटिस का जबाब नहीं, तो भी उन लोगों को परामर्श करने की कृपा कीजिये कि माननीय न्यायालय के समछ स्वयं को पेश कर माननीय न्यायालय कि शरण में आये, इस तरह माननीय न्यायालय की प्रक्रिया में बाधक बन कर न्यायालय का अपमान न करें

N.K. Gupta

प्रार्थी / जबाबकर्ता
नीरज गुप्ता
पिता मुन्नी लाल गुप्ता
नि०/ग्रा० बरगावां थाना
बरगावां जिला सिंगरौली
मध्य प्रदेश 486886
मो० नं० 7771822877
ईमेल- neeraj.gupta615@gmail.com

बीमा नहीं/NOT INSURED

450

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु. 32-00 पै.
Amount of Stamps Affixed Rs.

एक रजिस्ट्री प्राप्त किया
Received a Registered

पाने वाले का नाम
Addressed to

110003

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

तारीख-मोहर
Date stamp